भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/9/2017 **दिनांकः 10 जनवरी, 2017**

प्रेस नोट

विषयः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों में आगामी विधान सभा निर्वाचनों के लिए साधारण और पुलिस प्रेक्षकों को ब्रीफ करना।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डा. नसीम ज़ैदी, निर्वाचन आयुक्त, श्री ए.के. जोति और निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी. रावत ने होटल दि अशोक, नई दिल्ली में **10** जनवरी, **2017** को हुई ब्रीफिंग बैठक में विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित साधारण और पुलिस प्रेक्षकों को ब्रीफ किया।

साधारण और पुलिस प्रेक्षकों को सम्बोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डा. ज़ैदी ने पारदर्शी, सहभागितापूर्ण, समावेशी, जागरूक एवं मतदाता अनुकूल रीति में निर्वाचनों के संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेक्षकों को नैतिक आचार संहिता और मतदाता सुविधाओं, जैसे मतदाता सुविधा पोस्टर, मतदाता सहायता बूथ, मतदाता गाइड, निशक्तजनों हेतु सुविधाएं फोटो मतदाता पर्ची का नया डिजाइन और मतदाताओं की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए मतदाता कम्पार्टमेंट की उंचाई बढ़ाने सम्बन्धी महत्वपूर्ण अनुदेशों से परिचित कराना चाहिए।

उन्होंने साधारण और पुलिस प्रेक्षकों के द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और बल देते हुए कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्वाचन प्रेक्षकों की नियुक्ति करना देश में निर्वाचन प्रबंधन का अभिन्न अंग बन चुका है। प्रेक्षक, समस्त पणधारियों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सीएपीएफ की तैनाती हेतु एक प्रभावी आयोजना तैयार करते हैं।

निर्वाचन आयुक्त, श्री ए.के. जोति ने कहा कि साधारण और पुलिस प्रेक्षकों ने निर्वाचन प्रबंधन के सभी पहलूओं पर एक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है और लोगों का विश्वास बढ़ाने तथा देश के निर्वाचन लोकतंत्र में उनकी निष्ठा सुदृढ़ करने में आयोग के श्रेष्ठ साझेदारों के रूप में कार्य किया है। उन्होंने आगे निदेश दिया कि इलेकट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ पोस्टल बैलेट्स सिस्टम (ईटीपीबीएस) के माध्यम से डाक-मतपत्रों का कारगर वितरण सुनिश्चित करें तथा निर्वाचन से 72 घंटे पहले की अवधि में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया अपनाने पर भी जोर दिया। प्रेक्षकों को अपना मोबाइल नम्बर प्रकाशित कराना चाहिए और सभी टेलीफोन कॉलस के उत्तर देने चाहिए। प्रेक्षकों को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का बार-बार दौरा करके मतदाताओं को अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहिए, विशेषकर, संवेदनशील बस्तियों और इलाकों में। उन्हें माइक्रो प्रेक्षकों को प्रशिक्षित कराना चाहिए और प्रभावी रूप से तैनात करना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।

निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी. रावत ने कहा कि संवैधानिक अधिदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वच्छ, सहभागिता एवं पारदर्शी रीति में संबंधित कार्य में निर्वाचन प्रक्रिया का सफल संचालन सुनिश्चित करने में प्रेक्षकों के कार्यनिष्पादन की गुणवत्ता ही सर्वोच्च महत्व की होती है। अतः प्रेक्षकों को क्षेत्रों में समस्त निर्वाचन पदाधिकारियों पर पैनी निगाह रखनी चाहिए एवं राज्यों के विरूपण अधिनियम से परिचित होना चाहिए तथा "कोई मतदाता न छूटे" के आदर्श-वाक्य का निष्पादन करने के लिए स्वीप कार्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्रेक्षकों को निर्वाचन अवधि के दौरान आयोग के आँख और कान के रूप मे कार्य करना चाहिए तथा लाईसेंस शुदा अस्त्र-शस्त्रों को जमा करने, गैर-जमानती वारंटों का निष्पादन करने एवं आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 107 के तहत बॉण्डस लेने का संपूर्ण अनुवीक्षण करना चाहिए।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक